



## आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन

### प्रोफाइल पंजीकरण पावती

#### व्यक्तिगत विवरण

यूजर आईडी	PR1001429360	पंजीकरण की दिनांक	07/03/2022 11:24:20
नाम	Abhishek Malviya	नाम	अभिषेक मालवीय
जन्म की तारीख	21/11/2000	अभिभावक का नाम	S/O Tulsiram
लिंग	Male		
मकान न./ इमारत / भवन	00	गली/मार्ग/मोहल्ला	ambedkar word 7
क्षेत्र / परिसर / सेक्टर	pipariya	नगर / शहर / गांव	pipariya
पिन कोड	461775	क्षेत्र	Urban
जिला	Narmadapuram	स्थानीय निकाय	Pipariya
वार्ड	Pipariya (M) - Ward No.7		

#### जाति विवरण

जाति प्रमाणपत्र क्रमांक	RS/449/0106/52687/2015	जारी दिनांक	07/07/2015
पिता का नाम	TULSIRAM MALVIYA	माता का नाम	SUNITA MALVIYA
जाति	पिछड़ा वर्ग	उपजाति	Barhai

#### समग्र विवरण

हितग्राही की समग्र आईडी	116328097	परिवार की समग्र आईडी	24021882
-------------------------	-----------	----------------------	----------

#### आधार लिंक बैंक स्थिति

आधार लिंक बैंक स्थिति	आपका बैंक खाता आधार से लिंक है।		
-----------------------	---------------------------------	--	--

#### अन्य विवरण

आय घोषणा	मेरे परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय	1,00,000 upto
मूलनिवासी घोषणा	मुल निवासी की पात्रता के लिये चुना गया मापदंड	मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ

#### सामान्य निर्देश

- यह अभिस्वीकृति कंप्यूटर द्वारा स्वतः प्रदान की गयी है अतः किसी प्रकार के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा प्रदान जानकारी के सत्यापन के अधीन प्रोफाइल का पंजीकरण किया गया है।
- यदि प्रोफाइल पंजीकरण के दौरान आपको आधार में दर्ज विवरण सही नहीं मिला है तो अपने आधार में अपना विवरण अद्यतन कराये। कृपया अपना वर्तमान मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक कराये।
- कृपया आधार में अपनी जन्मतिथि DD/MM/YYYY प्रकार में अद्यतन कराये। उदाहरणार्थ 19/04/1983.
- कृपया प्रोफाइल पंजीकरण/अद्यतन में अपना वर्तमान एवं वैध नंबर प्रदान करे। विभाग द्वारा समय-समय पर सूचनाएं आपके द्वारा प्रदान किये मोबाइल नंबर पर ही भेजी जायेंगी।
- आपको सलाह दी जाती है कि आप मैन्युअल रूप से जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र को एमपीईडिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाणपत्र में परिवर्तित कराये जिससे कि आपकी जाति एवं उपजाति का सिस्टम में स्वतः प्रमाणीकरण और सत्यापन कराया जा सके।
- यदि प्रोफाइल पंजीकरण के समय आपने अपनी समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी प्रदान नहीं की थी तो कृपया लॉग इन कर प्रोफाइल अपडेट विकल्प में जाकर समग्र सम्बंधित जानकारी अद्यतन करें।
- कृपया अपना वर्तमान बैंक खाता अपने आधार से लिंक कराये। यदि किसी योजना के अंतर्गत आपको विभाग द्वारा कोई भुगतान किया जाना है तो भुगतान की राशि आपके आधार से लिंक बैंक खाते में ही जमा की जाएगी।
- यदि आप आधार में कोई जानकारी अद्यतन कराते है तो पृथक रूप से जानकारी आपको पोर्टल पर लॉगइन कर आपकी प्रोफाइल में प्रोफाइल अपडेट विकल्प में जाकर ईकेवाईसी के माध्यम से करनी होगी।
- पंजीकृत प्रोफाइल का प्रतिवर्ष नवीनीकरण बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से अनिवार्य रूप से करना होगा।